न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 13/2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनू ।

–बनाम–

सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5)

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ——————सरकार की ओर से।
2. श्री अनुराग जाखड़ (अधिवक्ता)——————गैर सायल की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 27.05.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 18.04.2022 को गैर सायल सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू हाल झंकार होटल मण्डावा रोड़ झुन्झुनू एक अपराधिक मनोवृति का व्यक्ति है। यह कस्बा झुन्झुनू में बदमाश व्यक्तियों के साथ रहकर अवैध देशी मदिरा का बेचान करता है। तथा अनावश्यक ही आपराधिक गतिविधियों से कस्बा झुन्झुनू में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित करके रखता है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 02 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर परीवीक्षा अधिनियम 4 का लाभ दिया गया है इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अभियोग संख्या 406/2018 दिनांक 09.09.2018 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधि0 थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 244 दिनांक 26.09.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें अन्वीक्षा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक [illegible] अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये परीवीक्षा अधिनियम 4 का लाभ दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

2. अभियोग संख्या 463/2018 दिनांक 17.10.2018 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधि0 थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 278 दिनांक 28.10.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.02.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये परीवीक्षा अधिनियम 4 का लाभ दिया गया।

इस प्रकार उक्त कर्मवीर सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, झुन्झुनू को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 24.05.2022 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, झुंझुनू में 2 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल को दोषसिद्ध मानकर परीवीक्षा अधिनियम 4 का लाभ दिया गया है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना सदर झुन्झुनू, में 2 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल को दोषसिद्ध मानकर परीवीक्षा अधिनियम 4 का लाभ दिया गया है। गैर सायल सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो अपराधों की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू को झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना कोतवाली, जिला चुरू निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल सुनिल कुमार उर्फ टोनी पुत्र बनवारी जाट, निवासी समसपुर, थाना सदर झुन्झुनू, उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि मे जहॉ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला चुरू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना सदर झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 27.05.2022 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:22 IST
Reason: SelfAttested